न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 41 / 2021 **दायर दिनांकः 03 / 09 / 2021**

उनवान

1. रामकेदार आयु 42 वर्ष पत्नि मोजीराम जाति गुर्जर निवासी अकावद कला तहसील खानपुर जिला झालावाड़ हाल निवासी केशवपुरा, सेक्टर—6 कोटा राज0।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 18 / 11 / 2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल सरसोदिया पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 143 का ख0नं0 12 का रकबा 0.64 है0 एवं ग्राम व माल केरवालिया की खाता संख्या 199 का ख0नं0 572 का रकबा 0.19 है0 आराजी प्रार्थिया के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी को प्रार्थिया ने जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 15.07.2019 को क्रय किया था जिसमें टाइपकर्ता द्वारा सहवन से प्रार्थिया के नाम के साथ पत्नि की जगह पुत्र दर्ज हो गया था। बेचानकर्ता हीरालाल एवं क्रेता रामकेदार द्वारा संशोधित पत्र/ विक्रय पत्र पूरक दस्तावेज (शुद्धि) दिनांक 11.06.2020 को उप पंजियक कवाई के यहां करवा दिया था। तदूपरान्त उक्त शुद्धि पत्र के नोट शुदा बेनामा एवं शुद्धि पत्र की प्रति पटवार हल्का को नामान्तकरण तस्दीक करने के लिए दिया गया था परन्तु

पटवार हल्का ने शुद्धि पत्र के नोट पर गौर नहीं किया और नामान्तकरण संख्या 562 दिनांक 20.07.2020 को प्रार्थिया के नाम के साथ रामकेदार पुत्र मोजीराम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही रामकेदार पत्नि मोजीराम दर्ज करना था। यानि पुत्र की जगह पत्नि दर्ज करना चाहिए था। बेनामा एवं शुद्धि पत्र एवं आधार कार्ड की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया के नाम के साथ पुत्र की जगह पत्नि दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया के नाम के साथ पत्नि सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा, अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम रामकेदार पुत्र मोजीराम के स्थान पर रामकेदार पत्नि मोजीराम दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम रामकेदार पुत्र मोजीराम के स्थान पर रामकेदार पत्नि मोजीराम दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 का शपथ पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम रामकेदार पुत्र मोजीराम के स्थान पर रामकेदार पत्नि मोजीराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–75 ग्राम सरसोदिया की खाता संख्या 143 ख0नं0 12 रकबा 0.64 है0 आराजी रामकेदार पुत्र मोजीराम के दर्ज खाता है। ग्राम केरवालिया की खाता संख्या 199 ख0नं0 572 रकबा 0.19 है0 आराजी रामकेदार पुत्र मोजीराम के दर्ज खाता है। विक्रय पत्र में रामकेदार पुत्र मोजीराम दर्ज है। अन्य प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम राम केदार पत्नि मोजी राम दर्ज है। विक्रयपत्र में

रामकेदार पुत्र मोजीराम दर्ज हो जाने से पूरक दस्तावेज (शुद्धि पत्र) दिनांक 11.06.2020 को करवा दिया गया।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम सरसोदिया की खाता संख्या 143 ख0नं0 12 रकबा 0.64 है0, ग्राम केरवालिया की खाता संख्या 199 ख0नं0 572 रकबा 0.19 है0 में खातेदार रामकेदार पुत्र मोजीराम के स्थान पर रामकेदार **पत्नि** मोजीराम दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां